नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची–834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

पत्रांक संख्या – 98/एडहॉक समिति/2025 राँची, दिनांक– 24.12.2025

मानननीय उच्च न्यायालय, रॉची झारखंड के WPC PIL 4052/2025 के आलोक में गठित Adhoc General Body and Adhoc Executive Committee की बैठक दिनांक 23.12.2025 को आहुत हुई जिसकी कार्यवाही इस प्रकार है :–

उपस्थिति :

माननीय उच्च यायालय के आदेश के आलोक में गठित General Body and Executive Committee के कुल 15 सदस्यों में से 3 सदस्य बैठक में उपस्थित हुए। उपस्थिति पंजी एवं कार्यवाही की पंजी यथा संलग्न ।

कार्यवाही :

बैठक में प्रारंभ में Adhoc Executive Committee के सभापति श्री अशोक कुमार सिंहा के द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आवृत में उन्होंने दिनांक 13.12.2025 को पदभार ग्रहण किया है। आवश्यक संचालन हेतु सभी संबंधित को सूचित कर दिया है।

बैठक में लिए गए निर्णय :

1. माननीय उच्च न्यायालय के बिषयगत आदेश के आलोक में विस्तृत बिन्दुवार चर्चा के बाद उपस्थित सदस्येां ने इस निष्कर्ष पर सहमति प्रदान की। विषयगत आदेश की कंडिका संख्या 13 में उल्लेखित माननीय उच्च न्यायालय का आदेश ही उक्त बैठक की कार्यवाही का एजेंडा सूची है।

2. माननीय उच्च न्यायालय की उपरोक्त कंडिका 13 i के समयबद्ध अनुपालन 06.01.2026 के क्रम में सभापति के स्तर से आरोपित प्राचार्य श्री संतोष कुमार एवं रौशन कुमार बक्शी, एकाउन्टस ऑफिसर वर्तमान में प्रशासनिक पदाधिकारी को सूचना निर्गत कर, वादी के द्वारा आरोपित बिन्दुओं पर अपना पक्ष साक्ष्यों के साथ दिनांक 28.12.2025 तक सभापति एवं उपस्थित सदंसयों के समक्ष रखने की सूचना दी जाय। आरोपित से प्राप्त प्रतिवेदन का मूल्यांकन करके तदनुसार Adhoc Executive Committee अपना प्रतिवेदन दिनांक 03.01.2026 तक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समर्पित कर सके।

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश कंडिका 13 ii से 13 xvii तक में उल्लेखित माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की गहन विवेचना की गई। निर्देशों के अनुपालन के क्रम में समिति ने यह पाया कि सभी निर्देशों के संपादन हेतु विद्यालय प्रशासन, पूर्ववर्ती छात्र, शिक्षाविद्, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग एवं जिला स्तर के प्रशासन से सहयोग की निरंतर आवश्यकता है। इन निकायों से कोइ भी नामित सदस्य बैठक में उपस्थिति नहीं हुए।

विदित है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय राज्य पोषित संस्थान है अतएव उपरोक्त बिन्दुओं के अनुपालन में राज्य सरकार की सक्रिय एवं सकारात्मक सहयोग कि नितांत आवश्यकता है।

माननीय न्यायालय के आदेश के कंडिकाओं पर और अधिक विशेष चर्चा के लिए अगली बैठक में विचार करने हेतु रखा जाय।

अगली बैठक की सूचना दिनांक 06.01.2026 के उपरांत निर्गत की जायेगी।

तदोपरांत सभापति द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा समाप्त हुई।

Sinha 24.12.24

(अशोक कुमार सिंहा)
सभापति
एडहॉक समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति

प्रतिलिपि :– Adhoc General Body and Adhoc Executive Committee के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

Sinha 24.12.24

(अशोक कुमार सिंहा)
सभापति
एडहॉक समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति